न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	RCMS.No. 2020/00016	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
09/2020		05.06.2020	25.06.2020

मैसर्स ऑल राजस्थान ट्रांसपोर्ट कम्पनी जरिये प्रो. संजय अग्रवाल पुत्र श्री सांवरमल अग्रवाल निवासी बांसवाडा, जिला बांसवाडा (राज.)

:– अपीलार्थी

–: बनाम :–

3. राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम, जरिये प्रबंधक नागरिक आपूर्ति प्रतापगढ़ (राज.)
4. जिला रसद कार्यालय जरिये जिला अधिकारी, प्रतापगढ़ (राज.)

:– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 38–39 RTPP ACT 2012 के तहत्

उपस्थिति :–
1. श्री पारसमल जैन अधिवक्ता अपीलान्ट
   श्री पैरोकार सरकार

–: आदेश :–

दिनांक 25.06.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश क्रमांक :– राराखानाआनि/स्थापना/2020–21/620–628 दिनांक 27.05.2020 द्वारा प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति, प्रतापगढ़ के संबंध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी एक परिवहनकर्ता व्यवसायी (ट्रांसपोर्टर) संस्था है। जिसे वर्ष 2019–20 के दौरान जरिये निविदा राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से जिला प्रतापगढ़ के तहसील क्षेत्र अरनोद एवं पीपलखुंट में नियंत्रित खाद्यान आपूर्ति का कार्यादेश दिनांक 27.08.2019 के अनुसार अनुबंध दिनांक 30.08.2020 की अनुसरण में प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर अपीलार्थी संस्था द्वारा तहसील क्षेत्र अरनोद एवं पीपलखुंट अन्तर्गत राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम लिमिटेड, शाखा, प्रतापगढ़ के दिशा–निर्देशों एवं कार्यादेशों की अनुपालना में नियमित रूप से निर्विदित सेवाएं प्रदान की जाती रही है तथा निविदा अनुबंध अनुसार अपीलार्थी संस्था की अन्तिम कार्यावधि दिनांक 29.08.2020 को समाप्त होगी।

किन्तु में दिनांक 13.04.2020 अपीलार्थी द्वारा दोपहर 12.30 PM पर निगम में पंजीकृत वाहन संख्या RJ06GA0383 - RJ06GA2585 तथा RJ35GA0352 अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के घोटारसी स्थित गोदाम से तहसील क्षेत्र अरनोद एवं पीपलखुंट के विविध उचित मुल्य दुकानदारों को सप्लाई हेतु

201

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

रवाना हो वाहन चालको द्वारा दोपहर 3 बजे जीरो माईल (नल) चौराहा, प्रतापगढ़ (ON THE WAY) खड़ी कर प्रबंधक नागरिक आपूर्ति, राजस्थान खाद्यान आपूर्ति निगम, कार्यालय प्रतापगढ़ से डिलिवरी चालान लेने जाकर पुनः मौके पर पहुँचे उक्त दरम्यान कुछ नागरिकों ने शंका के आधार पर अपीलार्थी के गेंहुँ भरे ट्रकों को गैर लिया तथा तब पुलिस प्रशासन, जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ मय प्रवर्तन निरीक्षक, तथा प्रबंधक नागरिक आपूर्ति, निगम प्रतापगढ़ भी मौके पर पहुँचे और वाहन कॉन्ट्रेक्टर सलीम एवं ड्राईवरों को पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया तथा सप्लाई ट्रकों को जब्त कर अन्य चालकों की मदद से गेंहुँ से भरी ट्रकों को अपनी कस्टडी में लेकर अपीलार्थी तथा अपीलार्थी के व्यवसायिक(मुनीम) श्री राधेश्याम सेन एवं वाहन अनुबंधकर्ता सलीम खां मुस्लमान के विरूद्ध दिनांक 14.04.2020 को प्रातः 5 बजे एक प्राथमिकी संख्या 164/2020 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 तथा राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों के उलंघन से संबंधित प्रकरण पुलिस थाना प्रतापगढ़ में दर्ज करवा दिया जो वर्तमान तक अनुसंधान में जैरे कार्यवाही है।

इसके उपरान्त प्रबंधक नागरिक आपूर्ति, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, प्रतापगढ़ द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के क्रम में जरिये विवादित आदेश दिनांक 14.04.2020 के अनुसार अपीलार्थी के कार्यादेश दिनांक 27.08.2019 एवं अनुबंध दिनांक 30.09.2019 की शर्त संख्या 9,10,19,21 व 22 के उल्लघंन का दोषी मानते हुए अपीलार्थी का कार्यादेश, अनुबंध को निरस्त करते हुए धरोहर राशि जब्त करने का आदेश प्रदान कर दिया तथा उक्त विवादित आदेश के अनुक्रम में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जरिये आदेश क्रमांक :– राराखानाआनि/लेखा/2020–21/620–628 दिनांक 27.05.2020 द्वारा अपीलार्थी फर्म को 3 वर्षो हेतु BLACK LISTED किया जाने से व्यथित होकर अपील अपीलार्थी श्रीमान की सेवामें निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है।

1. यह है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित आदेश न्याय व नियम के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित रूप से मौका एवं दस्तावेज पेश करने हेतु समय नहीं दिया है। रेस्पोडेन्टस ने इस बारे में अवसर नहीं देकर तुरत फुरत आदेश पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा 46(4) के अनुसार आदेश प्रदान करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिए कार्यादेश निरस्त कर जमानत राशि जप्त किये जाने का आदेश पारित किया है जो कतई अवैधानिक होकर कानून की मंशा एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से अपने आप निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टस ने पूर्व में कार्यादेश निरस्त किये जाने एवं धरोहर राशि जप्त किये जाने का निर्णय अवैधानिक रूप से जल्दबाजी में लिया है इसके पश्चात आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा संख्या 46(4) के अन्तर्गत अपीलार्थी की धरोहर राशि जप्त होने के कारण यह आदेश पारित किया गया है। अतः यह आदेश स्वतः ही अपने आप में निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह है कि अपीलार्थी ने अनुबंध की शर्त संख्या 9,10,19,21,22 की उल्लंघन नहीं किया है तथा रेस्पोडेन्टस ने पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारम्भ किये जाने से पूर्व ही सुनवाई का मौका दिए बिना कार्यादेश निरस्त करने व जमानत राशि जप्त करने का आदेश पारित किया है एवं इसके पश्चात दिनांक 27.05.2020 को इस अपील का आदेश पारित किया है जो कि उपरोक्त कारण से निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह है कि आदेश कमांक :राराखानाआनि/स्थापना/2020–21/543–547 दिनांक 14.04.2020 ट्रकों में लदान किये गए कट्टों में लदान किये गए कट्टों की संख्या व मात्रा में कोई कमी नहीं पाए जाने

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

के पश्चात भी सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलार्थी के विरूद्ध तुरत फुरत में उसे परेशान व जलील करने के बिना सोचे समझे पारित किया गया है अतः यह आदेश स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह है कि अपीलार्थी द्वारा आदेश की नकल रेस्पोडेन्ट के यहां से प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जायेगी।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट नं. 1 का आदेश कमांक : राराखानाआनि/लेखा/2020–21/620–628 दिनांक 27.05.2020 को निरस्त किया जावे तथा आदेश दिनांक 14.04.2020 से पूर्ववत स्थिति बरकरार रखी जाने बाबत् आदेश फरमाया जावे।

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये तथा अधिनसथ से मूल रिकार्ड पत्रावली तलब की गई जो बाद प्राप्ति रिकार्ड पर रखी गई तथा रेस्पोडेन्टगण की ओर से पैरोकार सरकार रसद तथा प्रबंधक नागरिक आपूर्ति, प्रतापगढ़ स्वयं उपस्थित हो प्रकरण में जवाब एवं लिखित बहस दिनांक 15.06.2020 को रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत की गई नकल अपीलार्थी को दिलाई गई उक्त दौरान अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत् विवादित आदेश दिनांक 14.04.2020 एवं 27.05.2020 से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की नकलें प्राप्त करने तथा अपीलार्थी द्वारा पूर्व में किये गये कार्यो के बकाया भूगतान राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि अपीलार्थी प्रकरण में बहस अन्तिम बाद नकलें प्राप्ति के साथ अवसर चाहते है इस संबंध में रेस्पोडेन्टगण को निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदित नकलें तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार जारी की जावें तथा पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम हेतु आगामी तारीख पेशी को पेश हो।

पत्रावली दिनांक 18.06.2020 को पेश हुई वकुलाय पक्षकार उपस्थित बहस उभयपक्ष अन्तिम सूनी गई बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा सम्पूर्ण पत्रावली मय उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकरण में लागु प्रचलित विधियों नियमों, परिपत्रों, निविदा शर्तो का गहनत पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 05.06.2020, जवाब एवं लिखित बहस रेस्पोस्पोडेन्टगण दिनांक 15.06.2020, जवाब एवं लिखित बहस खण्डन अपीलार्थी दिनांक 18.06.2020, कार्यादेश दिनांक 27.08.2019 एवं अनुबंध पत्र दिनांक 30.08.2019, विवादित आदेश दिनांक 14.04.2020 एवं 27.05.2020, पुलिस थाना प्रतापगढ़ में दर्ज प्राथमिकी संख्या 164/2020 की छायाप्रति तथा उभयपक्षों के मध्य निष्पादित सामान्य TERMS & CONDITION विलेख तथा RTPP ACT 2012 में विहित–निहित प्रावधानों का भी अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि अपीलार्थी के विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.04.2020 को अपास्त किया गया है तथा अपीलार्थी संस्था के विरूद्ध दिनांक 13.04.2020 के दौरान की गई कार्यवाही के क्रम में पुलिस थाना प्रतापगढ़ अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या 164/2020 दिनांक 14.04.2020 के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान तक मात्र आरोपी होकर सिद्धदोष करार घोषित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपनाया गया कठोरता का रूख न्याय शास्त्र के अनुसार अपराध की मात्रा के अनुपात में दण्ड़ की अधिकता के प्रतिकुल होगा।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर विवादित आदेश दिनांक 27.05.2020 को निरस्त किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुपम जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner